

राजस्थान सरकार

वन विभाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, कोटा

दिनांक: २४/७/२३

क्रमांक: एफ(तक)०- / उवसं/ २०२३-२४ / ६८१५

निमितः-

मुख्य वन संरक्षक
कोटा।

टिक्सिय :- Construction of approach road to foosed mataji FP/IU/ROAD/152647/2022

संदर्भ :- कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान का पंत्राक ६२६८ दिनांक ३१.०५.२०२३ के क्रम में।

महोदय.

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में लगाये गये आकोषों की पूर्ति निम्न अनुसार कर प्रेषित है।

क्र. सं.	आकोष	पूर्ति
1	सलग्न के ००८००८०००० फाइल में वन भूमि का सीमा विवरण संलग्न नहीं किया गया है।	यूजर ऐंजेसी द्वारा पूर्ति कर दी गई है।
2	सलग्न डी०जी०पी०एस० मेघ में वन भूमि का खसरा संख्या ५१० वन भूमि में दर्शाया जाये।	यूजर ऐंजेसी द्वारा पूर्ति कर दी गई है।
3	प्रस्ताव में संलग्न किये गये वैकल्पिक मार्गों में एलाइमेंट २ में वन भूमि ०.४९२० है। आती है तो उस मार्ग के प्रस्ताव का चयन नहीं करने के कारण स्पष्ट किये जाये।	यूजर ऐंजेसी ने अवगत कराया है, कि प्रस्ताव में संलग्न किये गये वैकल्पिक मार्गों में एलाइमेंट ०२ में न्यूनतम वन क्षेत्र ०.६८३ हेक्टेयर आता है।
4	प्रस्तावित मार्ग में वन भूमि में मकान आदि आना दृश्यमान है जबकि प्रस्ताव में कोई विस्थापन होना नहीं दर्शाया गया है।	यूजर ऐंजेसी द्वारा पूर्ति कर दी गई है।
5	खसरा अनुसार रिपोर्ट में २६० ने का खसरा वन विभाग के नाम नहीं है।	उक्त प्रस्ताव से संबंधित नहीं है।
6	उप वन संरक्षक द्वारा वन भूमि का विधिक अस्तित्व प्राइवेट राजस्थ लिखा गया है जबकि उक्त क्षेत्रवन विभाग की खातेदारी में है।	रक्षित वन कर दिया गया है।
7	यूजर ऐंजेसी उक्त ग्राम में प्राप्त वन / वन भूमि को पृथक पृथक रंग से दर्शाया जाकर आसपास की सीमा बनायी जाये।	यूजर ऐंजेसी द्वारा पूर्ति कर दी गई है।
8	उप वन संरक्षक द्वारा पार्ट । के बिन्दु संख्या ५ में कार्य आयोजना विवरण संलग्न नहीं किया गया है।	कार्य आयोजना संलग्न कर दी गई है।
9	उप वन संरक्षक द्वारा पार्ट । के बिन्दु संख्या में वन्यजीव की उपस्थिति का विवरण संलग्न नहीं किया गया है।	पूर्ति कर दी गई है।
10	प्रकरण में क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण एवं उससे संबंधित दस्तावेज यथा १०। वृक्षों की क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण योजना, डी०जी०पी०एस० मेप एवं जी०टी० शीट मैप स्थल उपरांतता प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किये	अपलोड कर पूर्ति कर दी गई है।
11	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित वन भूमि ०.४१ हेक्टेयर किया गया है जबकि प्रस्तावित वन भूमि ०.५९ हेक्टेयर है।	संशोधन कर दिया गया है।
12	वन भूमि के गजट नोटिफिकेशन की प्रति संलग्न नहीं है।	अपलोड कर दिया गया है।
13	उप वन संरक्षक द्वारा स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में वन भूमि के प्रत्यावर्तन की अनुशंशा नहीं की गयी है।	रथल निरीक्षण रिपोर्ट में अनुशंशा कर दी गई है।

भवदीय

(जयराम/पाण्डेय)
उप वन संरक्षक
कोटा।